

कार्यालय --- निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा
चण्डीगढ़

①

आदेश क्रमांक 23/84 2001-वि०। (1) दिनांक चण्डीगढ़ 18/4/02

~~1. लीटिल फ्लोवर वि. डिस्ट्रिक्ट मास्टर्स स्कूल, कैथल~~
को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से ~~उसकी~~ स्तर की सम्बद्धता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय-समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा तथा हरियाणा विद्यालय शिक्षा एक्ट 1995 के जो नियम बनेंगे वह विद्यालय को मान्य होंगे ।

विभागीय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है ।

सुरीना राजन
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा
हरियाणा चण्डीगढ़

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक चण्डीगढ़ 18/4/02

इसकी यह प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी ~~कैथल~~ को उनके पत्र क्रमांक ~~जी. 2/2002/540~~ दिनांक 10/4/02 के सन्दर्भ में ।
2. प्राचार्य / मुख्याध्यापक ~~लीटिल फ्लोवर वि. डिस्ट्रिक्ट मास्टर्स स्कूल, कैथल~~
3. सचिव केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र कम्प्यूनिटी सैन्टर प्रीत विहार, नई दिल्ली- 110002.

~~6/2/02~~
अधीक्षक विद्यालय-।
कृते निदेशक सैकण्डरी शिक्षा
हरियाणा, चण्डीगढ़.